

इस विभाग के पत्रांक एफ. 18 (आई-51) निजमूस/ आई.डब्ल्यू.एम.पी/ 2011-12/ 4800-5087 दिनांक 05.08.2011 के द्वारा स्वीकृत एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना हेतु वर्ष 2011-12 में जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

परियोजना प्रबंधक डब्ल्यू.सी.डी.सी अलवर के प्रस्ताव के अनुसार अलवर आई.डब्ल्यू.एम.पी 15 परियोजनान्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

| क्र. सं. | भारत सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी एस/एएस/एफएस के अनुसार | | | संशोधन उपरान्त | | | कारण |
|----------|--|---|--|----------------|---|---|---|
| | मैको/माइको | ग्राम पंचायत | ग्राम | मैको/माइको | ग्राम पंचायत | ग्राम | |
| 1 | 7/1-7 | Khidarpar, Roopbas, Sarheta, Hasanpur, Baghor | 1 Parasali - 00812700 2 Lapala - 00812600 3 Hasan pur - 00805600 4 Baghor - 00816000 5 Husaipur - 00813000 6 Daika - 00812800 7 Sarheta - 00812300 8 Muradbas - 00812100 9 Arandka - 00812200 10 Rupbas - 00810100 11 Kultajpur - 00809900 12 Dhakpuri - 00809800 13 Dhamdama - 00809700 14 Shadipur - 00807800 15 Adipur - 00806200 16 Rundh Gol - 00815800 17 Neemli - 00816100 18 Rund Roopbas - | 7/1-11 | Khidarpar, Doopbas, Sarheta, Hasanpur Mafi, Baghor | 1 Parasali - 00812700 2 Lapala - 00812600 3 Hasanpur Mafi - 00813200 4 Baghor - 00816000 5 Husaipur - 00813000 6 Daika - 00812800 7 Sarheta - 00812300 8 Muradbas - 00812100 9 Arandka - 00812200 10 Rupbas - 00810100 11 Kultajpur - 00809900 12 Dhakpuri - 00809800 13 Dhamdama - 00809700 14 Shadipur - 00807800 15 Aadipur - 00806200 17 Neemali - 00816100 18 Nangal - | परियोजना प्रबंधक अलवर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना की पी.पी.आर.7 में टंकन की त्रुटि से गलत मैको/माइको नं. अंकित हो गए थे। |

उपरोक्त संशोधन से परियोजना का क्षेत्रफल व लागत भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति अनुसार ही यथावत है।

उक्त संशोधन एस.एल.एन.ए. की बैठक दिनांक 21.02.2014 में अनुमोदित है।

Lawe

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

क्रमांक: एफ.20 (आई-51)आई.डब्ल्यू.एम.पी/निजमूस 2014-15/६०५२-५२ दिनांक: ०१/०५/१५

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग, ब्लॉक-11 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, अलवर।
4. अति. निदेशक (प्रशासन/ आई.डब्ल्यू.एम.पी) निदेशालय, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
6. वित्तीय सलाहकार निदेशालय, जयपुर।
7. परियोजना प्रबंधक डब्ल्यू.सी.डी.सी जिला परिषद, अलवर।
8. लेखाधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
9. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति, तिजारा (अलवर)।
10. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

Lawe
अतिरिक्त निदेशक
(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)